

¹[नियम 138ग : मालों का निरीक्षण और सत्यापन]

- (1) पारगमन में मालों के प्रत्येक निरीक्षण की एक संक्षिप्त रिपोर्ट समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी-03 के भाग क** में और ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर उसकी अंतिम रिपोर्ट **प्ररूप जीएसटी के बी-03 के भाग ख** में अभिलिखित की जाएगी।

²**[परन्तु]** जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, **प्ररूप ईडब्ल्यू बी-03 के भाग ख** में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिसको यान बीच में रोका गया था।]

- (2) जहां किसी वाहन के परिवहन किए जा रहे मालों का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापन किया जाता है वहां उक्त वाहन का उस राज्य संघ राज्यक्षेत्र में तब तक आगे और भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पश्चात् कर अपवंचन से सम्बन्धित कोई विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138ग प्रतिस्थापित।

अधिसूचना क्रमांक 15/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये हैं।

पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।

2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018—केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018।

² अधिसूचना क्रमांक 28/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2018 द्वारा परंतुक स्पष्टीकरण सहित अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 19.06.2018)।